



DELHI SARKARI RATION DEALERS SANGH - DELHI



Shop. No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-35

Website : www.dsrdsdelhi.com E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

SHIV KUMAR GARG

President
9812567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice President
9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President
9582203929

SITA RAM

Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary
9818946781

MANJEET KAUR

Secretary
9210565722

RAHUL AGGAWRAL

Cashier
9871420213

Ref. No. DSRDSDELHI/2017/No. 22.....

21st MARCH 2017

Date

सेवा में,
श्रीमान अनिल बैजल जी,
माननीय उपराज्यपाल महोदय.
6, राजनिवास मार्ग, सिविल लाइन
नई दिल्ली-110054

SR 43

विषय:-दिल्ली सरकार के खाद्य एवम आपूर्ति विभाग के अंतर्गत कार्यरत 2274 उचित दर दुकानदार/राशन डीलर्स की कमीशन अथवा मार्जिन मनी बढ़ाने हेतु और एक वर्ष की अवधि का बकाया कमीशन दिलाने हेतु तथा सभी राशन दुकानों के मासिक कोटे की मात्रा/आवंटन बराबर [RATIONLIZATION] करने हेतु!

श्रीमान जी,

जैसा की आप सभी को मालूम होगा कि, दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून -2013 [NATIONAL FOOD SECURITY ACT - 2013] 1-सितंबर-2013 से लागु हो गया था, जिसके तहत दिल्ली के सभी राशन डीलर्स दिल्ली के लगभग 19 लाख 45 हजार परिवारों के 73 लाख जरूरतमंद लोगों को गेहू 2/-रुपये तथा चावल 3/-रुपये प्रति किलो प्रतिमाह वितरण कर रहे है ! दिल्ली में सभी राशन डीलर्स को पूर्व निर्धारित(जून,1997) कमीशन 35 पैसे प्रति किलो गेहू तथा चावल वितरण करने पर 31अगस्त 2014 तक दिया गया! दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ -दिल्ली (DSRDS -DELHI) के द्वारा तमाम प्रयासों के बाद, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान यह कमीशन बढ़ाकर 70 पैसे प्रति किलो 1 सितंबर 2014 से लागु कर दिया गया! (फोटो कॉपी संलग्न).

गौरतलब हो, कि दिल्ली में जब NFS ACT -2013 लागु हुआ था, तब भारत सरकार द्वारा राशन डीलर्स के लिए ना तो कोई कमीशन/मार्जिन मनी तय किया गया था और ना ही कमीशन /मार्जिन मनी हेतु कोई नियम बनाये गये थे !

हालांकि NFS ACT -2013 के सेक्शन 22 (डी) में यह जिक्र जरूर था, कि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियम (NORMS) के अनुसार ही राशन डीलर्स के लिए कमीशन/मार्जिन मनी तय कर सकेंगी! भारत सरकार के गज़ट नोटिफिकेशन संख्या -.....दिनांक 17 अगस्त 2015 के अनुसार दिल्ली के राशन डीलर्स के लिए यह कमीशन 70 पैसे प्रति किलो तय कर दिया गया और जब से दिल्ली में NFS ACT -2013 के तहत खाद्यान का आवंटन हुआ है, तब से सार्वजनिक प्रणाली के सभी खर्च जैसे राशन डीलर्स का कमीशन/मार्जिन मनी, राशन दुकान पर राशन पहुँचाने में होने वाले खर्च इत्यादि का 50% राशि का सहयोग भारत सरकार दिल्ली राज्य को करेगी! (फोटो कॉपी सलंग्र) .

देश की राजधानी दिल्ली में यह कमीशन 70/- पैसे प्रति किलो मिलता है, जबकि झारखण्ड जैसे राज्य में यह कमीशन 1/- रुपया प्रति किलो दिया जाता है ! आप सभी जानते हैं कि झारखण्ड की अपेक्षा मेट्रो सिटी दिल्ली में पारिवारिक तथा राशन दुकान के मासिक खर्च चार गुना अधिक होंगे! हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 37% बढ़ाकर 9724/- से 13350/- रूपये प्रति माह कर दी गयी, जबकि दिल्ली में आज भी काफी राशन दुकानदारों को पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 9724/- प्रति माह के बराबर भी कमीशन नहीं मिलता है ! दिल्ली के 2274 राशन डीलर्स की मासिक आय का ब्यौरा, फरवरी -2017 हेतु आवंटित खाद्यान के अनुसार एक तालिका के माध्यम से और दिल्ली में राशन दुकान के मासिक खर्च का ब्यौरा दूसरी तालिका के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, कि दिल्ली में राशन के दुकानदार किस प्रकार अपना गुजर बसर कर रहे हैं ! (फोटो कॉपी सलंग्र) इस तरह, दिल्ली में राशन डीलर्स 3500 /- , 7000 /- , तथा 14000 /- रूपये से भी कम कमीशन पर अपनी राशन दुकान चला रहे हैं ! जबकि राशन दुकान के खर्च कहीं अधिक हैं.

उपरोक्त सभी जानकारी को तथ्यों सहित DSRDS -DELHI द्वारा दिल्ली के सभी 7 सांसदों/सभी 70 विधायकों/ दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों तथा खाद्य एवम आपूर्ति आयुक्त महोदय को लिखित रूप में भारतीय स्पीड पोस्ट से सितम्बर 2015 में भेजा था! बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि, दिल्ली के राशन डीलर्स का दुर्भाग्य है, कि जवाब में मात्र एक पत्र डॉ. हर्षवर्धन जी, माँननीय मंत्री, भारत सरकार का मिला था और मेरे मोबाइल पर एक कॉल श्री राजेश गुप्ता जी, विधायक, वज़ीर पुर दिल्ली से आयी थी, जिसमें दिल्ली के राशन डीलर्स के कमीशन को बढ़ाने की सिफारिश वर्णित/ व्यक्त की गई थी ! इसके अलावा भी DSRDS -DELHI के द्वारा दिल्ली सरकार और विभाग को लिखित व मौखिक रूप से भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन सरकार या खाद्य एवम आपूर्ति विभाग की ओर से कोई ठोस जवाब लिखित में DSRDS -DELHI को नहीं मिला है!

DSRDS -DELHI आप सभी से पुनः अनुरोध करता है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS) को दुरुस्त करने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन शीघ्रातिशीघ्र करे जिसमे शासन ,प्रशासन के अलावा DSRDS -DELHI के प्रतिनिधि भी शामिल हो! हमारी तीन मुख्य मांग निम्न लिखित है :-

- 1.दिल्ली में राशन डीलर्स की कमीशन कम से कम 2 रूपये 80 पैसे प्रति किलो कर दिया जाये !
- 2.दिल्ली में जब से NFS ACT -2013 लागु हुआ है,तब से भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन 70 पैसे प्रति किलो एक वर्ष अवधि का अर्थात् 1 सिम्बर 2013 से 31 अगस्त 2014 तक का सभी राशन डीलर्स को दिया जाये
- 3.दिल्ली के सभी राशन डीलर्स के मासिक कोटे की मात्रा/आवंटन, प्रत्येक विधान सभा में दिल्ली नगर निगम के वार्ड अनुसार बराबर (RATIONLIZATION) कर दी जाये.

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही कर दिल्ली के राशन डीलर्स की भी सुनेंगे,ताकि दिल्ली के सभी राशन डीलर्स पूर्ण ईमानदारी और सम्मान के साथ दिल्ली के जरूरतमंद लोगो की सेवा और बेहतर कर सके!

सधन्यवाद,

शिव कुमार गर्ग

अध्यक्ष - दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ -दिल्ली प्रदेश(DSRDS -DELHI)

मोबाइल नंबर 9212567435 ,8700370981

इ-मेल:-SKG 7435 @GMAIL .COM

P.P.M.

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002.
(POLICY BRANCH)**

No.F. 3(6)/P&C/F&S/2017 /334

Dated: 02/06/2017

To

Sh. Shiv Kumar Garg,
Shop No. 2&3 C-4 DDA Market first floor,
Lawrance Road, Keshavpuram (Keshavpuram)
Delhi-110035

Sub: - Regarding Increasing of Commission for Ration Dealers.

Sir,

Kindly refer your letter no. DSRDSDELHI/2017/NO. 22 dated 21.03.2017, in this regard, I am directed to inform you that matter of Increasing of Margin Money is under consideration, as far as matter is concerned regarding rationalisation of NFS Cards on fair price shop, it is being take up by a committee at Zone level.

This is for information please.

Yours faithfully,


(V.K. TRIPATHI)
FSO (P&C)